

छत्तीसगढ़ शासन,  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर.

क्रमांक : एफ 11-2/2022/18  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/01/2024

1. समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़
2. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम,  
छत्तीसगढ़
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,  
छत्तीसगढ़

विषय :- जन आस्था के दृष्टिगत दिनांक 22 जनवरी, 2024 अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकान बंद रखने बाबत।


संदर्भ :- इस विभाग के पत्र क्रमांक 434, दिनांक 07.09.2002,

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा विशिष्ट अवसरों पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकान बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं।

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अवसरों के अतिरिक्त दिनांक 22 जनवरी, 2024 अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकान बंद रखी जावे।

कृपया शासन आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे।

  
(दानिएल एक्का)

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

— 2 —

// 2 //

पृ. क्रमांक : एफ 11-2/2022/18

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/01/2024

प्रतिलिपि :-

01. निज सचिव, मान. उप मुख्य मंत्रीजी (भारसाधक), छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
02. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
03. समस्त संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़।
04. गार्ड फाईल हेतु।

  
20/01/2024

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग